रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 25—मई 1, 2010, शनिवार/वैशाख 5—वैशाख 11, 1932
No. 8] NEW DELHI, APRIL 25—MAY 1, 2010, SATURDAY/VAISAKHA 5—VAISAKHA 11, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

(गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2010

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (रेखांकन) पद भर्ती नियम, 1999, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-3 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (नक्शानवीस) पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. नक्शानवीस	*119(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अनधिक (साधारण अभ्यर्थियों की दशा में विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2 :** उन पदों के संबंध में जिन पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति की जानी है आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण) (ख) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि (जिसके अंतर्गत छह मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी है) का नक्शानवीसी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या डिप्लोमा समतुल्य । **वांछनीय :** (क) केन्द्रीय सरकारी विभाग या कानूनी संगठन या उपक्रमों में नक्शानवीस के रूप में एक वर्ष का अनुभव । (ख) स्वचालित कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन (ऑटो कैड) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य और कंप्यूटर और इसके बाह्य परिधियों का प्रयोग करके रेखांकन सृजित करने की आवश्यक जानकारी रखता हो । **टिप्पण 1.**—अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– **आयुध प्रभाग** **I. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (गोलाबारूद), किरकी, पुणे** 1. नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (गोलाबारूद), किरकी, पुणे —अध्यक्ष	लागू नही होता ।

(13)

2. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (गोलाबारूद), किरकी, पुणे के दो समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

3. केन्द्र/निकट केन्द्र में गोलाबारूद स्थापनों से भिन्न एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

II. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून

1. नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून —अध्यक्ष

2. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (उपकरण), देहरादून के दो समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

3. केन्द्र/निकट केन्द्र में उपकरण स्थापनों से भिन्न स्थापनों से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

यान प्रभाग

III. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर

1. नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर —अध्यक्ष

2. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर के दो समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

3. केन्द्र/निकट केन्द्र में यान स्थापनों से भिन्न स्थापनों से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

भंडार प्रभाग

IV. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (टेक्सटाइल और वस्त्र), कानपुर :

1. नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (टेक्सटाइल और वस्त्र), कानपुर —अध्यक्ष

2. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (टेक्सटाइल और वस्त्र), के दो समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

3. केन्द्र/निकट केन्द्र में भंडार स्थापनों से भिन्न स्थापनों से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग

V. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इलेक्ट्रानिकी), बंगलौर :

1. नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इलेक्ट्रॉनिक), बंगलौर —अध्यक्ष

2. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इलेक्ट्रॉनिक), बंगलौर के दो समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

(13)	
3. केन्द्र/निकट केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्थापनों से भिन्न स्थापनों से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
इंजीनियरी प्रभाग	
VI. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरी उपस्कर), औंधं, पुणे:	
1. नियंत्रक, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरी उपस्कर) औंधं, पुणे:	—अध्यक्ष
2. गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरी उपस्कर), औंधं, पुणे: के दो समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
3. केन्द्र/नजदीकी केन्द्र में इंजीनियरी स्थापनों से भिन्न स्थापनों से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य

[फा. सं. ए-86320/आर आर/रेखांक/जी 'पीसी'/डीजीक्यूए/प्रशा. 10/डी(क्यूए)/2010]

सुभाष चंद, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 27th April, 2010

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director general Quality Assurance Group 'C' (Drawing) Posts Recruitment Rules, 1999, in so far as it relate to the post of Draughtsman Grade-III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draughtsman, in the Department of Defence Produciton, Directorate General of Quality Assurance namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. —The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc. .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating therero shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Draughtsman	119*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Not exceeding twenty seven years (Relaxable for Departmental candidates upto 40 years in case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (a) Matriculation or equivalent (10th class pass) from a recognised Board or University. (b) Certificate course or Diploma in Draughtsmanship of a duration not less than two years (including six months practical training) from a recognised Industrial Training Institute or equivalent. **Desirable :** (a) One year experience as Draughtsman in a Central Government Department or Statutory Organisation or undertaking. (b) Certificate course in Automated Computer Aided Design (AUTOCAD) or equivalent and having essential kowledge of creating drawings using computer and its peripherals. **Note.**—The qualification regarding experience is relaxable for persons to be recorded in writing at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :— **ARMAMENT DIVISION** **I. Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune :**	Not applicable

(13)

1.	Controller, Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune	—Chairman
2.	Two Group 'A' officers of Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune	—Members
3.	A Group 'A' officer from other than Ammunition Establishments in the station/nearby station	—Member
4.	A Group 'A' officer from Administration Directorate, HQ Directorate General of Quality Assurance	—Member
II.	**Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun :**	
1.	Controller, Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun	—Chairman
2.	Two Group 'A' officers of Controllerate of Quality Assurance (Instruments), Dehradun	—Members
3.	A Group 'A' officer from other than Instruments Establishments in the station/nearby station	—Member
4.	A Group 'A' officer from Administration Directorate, HQ Directorate General of Quality Assurance	—Member
VEHICLE DIVISION		
III.	**Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar :**	
1.	Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicle), Ahmednagar	—Chairman
2.	Two Group 'A' officers of Controllerate of Quality Assurance (Vehicle), Ahmednagar	—Members
3.	A Group 'A' officer from other than Vehicle Establishments in the station/nearby station	—Member
4.	A Group 'A' officer from Administration Directorate, HQ Directorate General of Quality Assurance	—Member
STORES DIVISION		
IV.	**Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur :**	
1.	Controller, Controllerate of Quality Assurance (Textile and Clothing), Kanpur	—Chairman
2.	Two Group 'A' officers of Controllerate of Quality Assurance (Textile and Clothing), Kanpur	—Members
3.	A Group 'A' officer from other than Stores Establishments in the station/nearby station	—Member
4.	A Group 'A' officer from Administration Directorate, HQ Directorate General of Quality Assurance	—Member
ELECTRONICS DIVISION		
V.	**Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore :**	
1.	Controller, Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore	—Chairman
2.	Two Group 'A' Officers of Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore	—Members
3.	A Group 'A' officer from other than Electronics Establishments in the station/nearby station	—Member

(13)	(14)
4. A Group 'A' officer from Administration Directorate, HQ Directorate General of Quality Assurance	—Member
ENGINEERING DIVISION	
VI. Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh, Pune :	
1. Controller, Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh, Pune	—Chairman
2. Two Group 'A' officer of Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh, Pune	—Members
3. A Group 'A' officer from other than Engineering Establishments in the station/nearby station	—Member
4. A Group 'A' officer from Administration Directorate, HQ Directorate General of Quality Assurance	—Member

[F. No. A/86320/RR/Drawing/Gp 'C'/DGQA/Adm-10/D(QA)/2010]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2010

का.नि.आ. 18.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में का.नि.आ. 65 तारीख 8 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और ये निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानी परिसीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :–

क्रम संख्या	संपदा अधिकारी	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	समन्वयन अधिकारी, नियंत्रक, सीक्यूए (आई) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, देहरादून	स्तंभ में उल्लिखित संबंध अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और अधिकारिता की स्थानी परिसीमाओं के भीतर स्थित स्थान
2.	समन्वयन अधिकारी, डीडीजीक्यूए (स्टोर्स), मुख्यालय डीजीक्यूए, डीजीक्यूए कांप्लेक्स, आनंद पर्वत, दिल्ली	-यथोक्त-
3.	समन्वयन अधिकारी, एसक्यूएओ, एसक्यूएई (वी) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, बदरपुर, दिल्ली	-यथोक्त-
4.	समन्वयन अधिकारी, नियंत्रक, सीक्यूए (जीएस) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, कानपुर	-यथोक्त-
5.	समन्वयन अधिकारी, एसक्यूएओ, एसक्यूएई (जीएस) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, शाहजहांपुर	-यथोक्त-
6.	समन्वयन अधिकारी, एसक्यूएओ, एसक्यूएई (जीएस) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, कोलकाता	-यथोक्त-
7.	समन्वयन अधिकारी, नियंत्रक, सीक्यूए (एसए) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, इचापुर (प.बं.)	-यथोक्त-
8.	समन्वयन अधिकारी, नियंत्रक, सीक्यूए (डब्ल्यू) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, जबलपुर	-यथोक्त-
9.	समन्वयन अधिकारी, कमांडेंट, सीपीई डीजीक्यूए कांप्लेक्स, इटारसी	-यथोक्त-
10.	समन्वयन अधिकारी, एसक्यूएओ, एसक्यूएई (ए) डीजीक्यूए कांप्लेक्स, खमरिया	-यथोक्त-